dfosoillansdowne@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः— 1616 / 12-1 दिनांक,लैन्सडौन, मई, 19 / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

विषयः— जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत पौखाल माडंलु से खमाण (स्टेल—1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राग्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केदीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून की पत्र सं0 8बी./यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0 सी0/2748 दिनांक 26.02.2020 व अधिशासी अभियन्ता पी0आई0यु0दुगड्डा, जनपद पौडी गढवाल का पत्रांक 447/पी0एम0जी0एस0वाई0/2020/50 दिनांक 11.05.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—केदीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति संख्या 01 के क्रम में उप जिलाधिकारी लैन्सडौन,गढ़वाल के पत्र संख्या 339/आर0सी0—2020 दिनांक 08.05.2020 से उक्त आपत्ति का निराकरण कर लिया गया है।जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की गई है।

सलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन।

पत्रांक 1616 / 12—1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः—1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—2. उप प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड, पी0आई0यू0 दुगड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन।

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/20/2020/एफ0 सी0/2748 दिनांकः 26/02/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/41658/2019)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1836/FP/UK/ ROAD/41658/2019 दिनांक 25-01-2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. Some agriculture land (Terraced fields) is seen in the CA polygon in KML file uploaded at para C of Part I and para-13 of Part II. State Government may clarify the same.
2. It is seen from data given at para-14 of Part II that the CA stipulated i.e. 1455.20 ha is not commensurate to the area of forest land diverted i.e. 2122.20 ha. Logically CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Further, the progress of CA is equal to CA stipulated which is required to be confirmed.
3. DFO has not given any comment about violation of FCA against para (a) & (b) in the Site Inspection Report uploaded at para 15 of Part II.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

॥ कार्यालय उपजिलाधिकारी लैन्सडौन गढ़वाल ॥

संख्याः–331 /आर0सी0–2020 दिनांक लैन्सडौन 08 मई 2020

उप–प्रबन्धक,
एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड,
पी0आई0यू0 दुगड्डा।

विषयः– **प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित पोखाल–मांडलु मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग पर वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–447/पी0एम0जी0एस0वाई0/2020/52 दिनांक 28 फरवरी 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें कि अवगत कराया गया है कि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित पोखाल–मांडलु मार्ग में खमाणा मोटर मार्ग प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अपने संलग्न पत्र संख्या–8 बी0/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/2748 दिनांक 26.02.2020 द्वारा आपत्ति लगायी गयी है कि, जो क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी है उस भूमि पर कुछ–कुछ स्थानों पर खेती की जा रही है। जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण कर सूचना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी भूमि के सम्बन्ध में निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु तहसीलदार जाखणीखाल को निर्देशित किया गया।

तहसीलदार जाखणीखाल द्वारा अपने संलग्न पत्र संख्या–11/र0का0/2019–20 दिनांक जाखणीखाल 04 मई 2020 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम खमाणा, पट्टी मल्ला ढ़ांगू–1, तहसील जाखणीखाल के खसरा नम्बर–3411, रक्वा 3.259 है0 जो कि उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत सिविल भूमि (नॉन0जेड0ए0) झाड़ी दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9 (ख)(2), खाता संख्या–05 झाड़ी, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत दर्ज है। उक्त भूमि में किसी प्रकार की खेती नही हो रही है और न ही कोई व्यक्ति इस भूमि पर किसी रूप में काबिज है। इस बाबत सम्बन्धित कम्पनी के सहायक अभियन्ता के साथ दिनांक 01.03.2020 को उक्त भूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर आख्या सम्बन्धित कम्पनी को प्रेषित की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा भी पूर्व में निरीक्षण कर, भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है। तहसीलदार जाखणीखाल द्वारा अपनी आख्या में यह भी अवगत कराया है कि खसरा नम्बर–3411, रक्वा 3.259 है0 पर किसी प्रकार की खेती नही हो रही है। प्रश्नगत भूमि मौके पर झाड़ी के रूप में बजंर है।

संलग्न–यथोपरि।

(अपर्णा ढ़ौंडियाल)
उपजिलाधिकारी
लैन्सडौन/जाखणीखाल।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

तहसीलदार
जाखणीखाल।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
लैन्सडौन।

सख्या— ११ र०का०/2019–20 दिनांक जाखणीखाल मई, 04, 2020।

विषय— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में प्रस्तावित पौखाल माण्डलू मार्ग से खमाण मोटर मार्ग पर वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उप प्रबन्धक एन0पी0सी0सी0 पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा, पौडी गढवाल के कार्यालय से प्राप्त संलग्न पत्र जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में प्रस्तावित पौखाल माण्डलू मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग पर वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आपत्ति लगायी गयी है कि जो भूमि क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है उस भूमि पर कुछ–कुछ स्थानों पर खेती की जा रही है के सम्बन्ध में निरीक्षणोंपरान्त सूचना उपलब्ध कराने बावत अनुरोध किया गया है।

सन्दर्भित पत्र की जांच क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक से करायी गयी है। राजस्व उप निरीक्षक मल्ला ढांगू–1, तहसील जाखणीखाल के द्वारा अपनी सलंग्न जांच आख्या से अवगत कराया है कि ग्राम खमाणा, पट्टी मल्ला ढांगू–1 तहसील जाखणीखाल के खसरा नम्बर 3411 रकबा 3.259 है0 जो कि उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत सिविल भूमि (एन0जेड0ए0) झाडी दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में नान जेड0 ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख)(2),खाता संख्या–05 झाडी, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत दर्ज है। उक्त भूमि में किसी प्रकार की खेती नही हो रही है और न ही कोई व्यक्ति इस भूमि पर किसी रूप में काबिज है। इस बावत सम्बन्धित कम्पनी के सहायक अभियन्ता के साथ दिनांक 01.032020 को उक्त भूमि का सयुंक्त स्थलीय निरीक्षण करके आख्या सम्बन्धित कम्पनी को दी जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा भी पूर्व में निरीक्षण कर, भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

राजस्व उपनिरीक्षक मल्ला ढांगू–1 तहसील जाखणीखाल की आख्या से विदित है कि खसरा नम्बर 3411 रकबा 3.259 है0 पर किसी प्रकार की खेती नहीं हो रही है । प्रश्नगत भूमि मौके पर झाडी के रूप में बंजर है।

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न–यथोक्त।

RC
पत्रावली २४
5/5/2020
SDM.

तहसीलदार
जाखणीखाल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner